न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या –116/2019

उनवान

1. रामप्रसाद पुत्र रामस्वरूप
2. किशनलाल पुत्र रामस्वरूप
3. रत्तीराम पुत्र रामस्वरूप
4. चिरंजीलाल पुत्र भगवानसहाय
5. जमन्या पुत्र मुलचन्द
6. किशोरी पुत्र मुलचन्द
7. यादराम पुत्र मुलचन्द
8. बाबु पुत्र रामदेव
9. बनवारी पुत्र रामदेव
10. रामलाल पुत्र रामदेव
11. भौती देवी पत्नि मोती
12. राजेश पुत्र मोती
13. नेतराम पुत्र लोहडया
14. कन्हैया पुत्र लोहडया
15. लक्ष्मण पुत्र लोहडया
16. रंगलाल पुत्र भौरया
17. प्रभु पुत्र भौरया
18. हीरालाल पुत्र भौरया
19. हरीचन्द पुत्र गंगासहाय
20. लक्ष्मा देवी पत्नि गंगासहाय
21. सुनिता पुत्री गंगासहाय
22. सिंगारी पुत्री गंगासहाय
23. रामप्यारी पुत्र गंगासहाय
24. महेन्द्र पुत्र हुकमचन्द
25. रविकुमार पुत्र हुक्मचन्द
26. शकुन्तला पत्नि हुक्मचन्द
27. शिमला पत्नि रामनिवास
28. शकुन्तला पत्नि सीताराम

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

29. रामनिवास पुत्र फुल्या
समस्त जाति बैरवा निवासी गांगदवाडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

बनाम

वादीगण

बनाम

1. जैन्या पुत्र सोन्या जाति मीना निवासी गांगदवाडी तह0 सिकराय जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सिकराय।

अप्रार्थीगण

दावा दुरूस्ती बाबत

वादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद जैमन एड0
प्रतिवादी की ओर से श्री लखनलाल बैरवा एड0

निर्णय **निर्णय दिनांक 25.02.2026**

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष वादपत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण की खातेदारी कब्जेशुदा भूमि साबिक खसरा नंबर 487 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नंबर 637 रकबा 2.81 है0 वाके रामा गांगदवाडी में स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है जिस पर वादीगण से पूर्व उनके पिता एवं बाबा काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है किन्तु वादी को उक्त भूमि में काश्त करने में रूकावट पैदा करते थे इसलिए तहसीलदार सिकराय के समक्ष 2017–2018 में सीमाज्ञान के लिये एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यालय में शुल्क जमा करवाया गया। तथा जरीब चलाकर उक्त भूमि का सीमाज्ञान किया गया, वर्तमान नक्शे के आधार पर वादीगण के रकबे का मेल नहीं खा रहा है। तथा वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण के खेत की ओर बढ रही है। तथा प्रतिवादी वादीगण को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त नहीं करने देते है। वादीगण की भूमि का पूर्व रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा जो पूर्व नक्शा संवत 2005 के नक्शे के आधार पर सही रकबे का मेल खा रहा है लेकिन संवत 2008–09 में सेटलमेण्ट के अमीनो द्वारा पूर्व नक्शे के आधार पर नक्शा तैयार नहीं किया गया अपितु गैरकानुनी रूप से नक्शा तैयार कर दिया जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय

वादीगण के रकबे का मिलान नहीं हो रहा है। इसलिए दावा वादीगण स्वीकार किया जावे एवं उक्त भूमि के नक्शे को पूर्व नक्शा संवत 2005 के आधार पर दुरूस्त किया जावे तथा नया नक्शा तैयार होने के पश्चात उक्त नक्शे के आधार पर वादीगण की खातेदारी भूमि का सीमज्ञान करवा कर पत्थरगढी करवाई जावे।

इत्यादि पर दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लखनलाल बैरवा द्वारा वकालतनाम पेश किया गया एवं पत्रावली जवाब दावे हेतु नियत की गई। प्रतिवादी को जवाब हेतु बार बार अवसर दिए जाने पर भी जवाब दावा पेश नहीं किए जाने पर जवाब दावा बंद किया गया एवं वादीगण के वादपत्र के अनुसार निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

1. आया खसरा नंबर 634 रकबा 2.81 है0 भूमि वाके ग्राम गांगदवाडी का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा पूर्व नक्शे संवत 2005 के आधार पर सैटलमेण्ट के दौरान नक्शा नहीं बनाए जाने के कारण नक्शा दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

   वादीगण

2. नक्शे के आधार पर वादीगण की भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है।

   वादीगण

3. आया सैटलमेण्ट कर्मचारियों द्वारा वर्तमान नक्शा पूर्व नक्शे के आधार पर सही है इसलिए वादीगण उक्त नक्शे में शुद्ध करवाने के अधिकारी है।

   वादीगण

तनकीयात कायम कर पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। तहसीलदार से प्रकरण में जवाब स्टेट तलब किया गया। तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा प्रकरण में पत्रांक भू0अ0/2025/1333 दिनांक 08.08.2025 द्वारा जवाब पेश किया गया। बहस दावा सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया एवं निवेदन किया कि सैटलमेण्ट पूर्व का नक्शा सही था लेकिन सैटलमेण्ट विभाग द्वारा हालिया नक्शा तैयार करते समय वादीगण की भूमि का रकबा कम कर दिया एवं प्रतिवादी के हिस्से में अंकित कर दिया जिससे वादीगण की खातेदारी अधिकारो का हनन होता है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न की जाती है। इसलिए दावा वादीगण स्वीकार किया जावे एवं साबिक नक्शाशीट के अनुसार वादीगण की भूमि के नक्शाशीट की तरमीम की जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित भूमि की तरमीम में भू–प्रबंध विभाग द्वारा कोई गलत तरमीम नहीं की है वादीगण द्वारा महज प्रतिवादी को हैराने परेशान करने की नियत से

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

वादपत्र पेश किया गया है इसलिए भारी कोरट पर दावा वादीगण खारिज किया जावे। उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस किए अभिवचनों एवं पेश दस्तावेजात एवं जवाब तहसीलदार बहरावण्डा के अवलोकन से प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है–

1 आया खसरा नंबर 634 रकबा 2.81 है0 भूमि वाके ग्राम गांगदवाडी का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा पूर्व नक्शे संवत 2005 के आधार पर सैटलमेण्ट के दौरान नक्शा नहीं बनाए जाने के कारण नक्शा दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

वादीगण

तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या नया 190 पुराना 192 प्रदर्श पी 1 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी 2 नक्शाशीट सन 2008–09 प्रदर्श पी 3, नक्शाशीट संवत 2005 प्रदश्र पी 4 पेश किए है। बहस वादी अधिवक्ता का मनन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जवाब तहसीलदार बहरावण्डा का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि खसरा नंबर 637 का वर्तमान एवं सैटलमेण्ट पूर्व का नक्शा का रकबा समान है। वादीगण द्वारा पेश प्रदर्शित दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिनसे भी यह साबित नहीं होता है कि सैटलमेण्ट पूर्व एवं बाद के नक्शे में कोई परिवर्तन वादीगण के हक अधिकारों के विपरीत किया गया है। इसलिए तनकी संख्या 1 वादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

2 नक्शे के आधार पर वादीगण की भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है।

वादीगण

तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। इस तनकी में वादीगण द्वारा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का अनुतोष चाहा गया है लेकिन वादपत्र धारा 88 आर0टी0ए0 में दुरूस्ती इन्द्राज के संबंध में पेश किया गया है। यदि वादीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाना चाहते है तो नियमानुसार तहसीलदार के समक्ष आवेदन करें तथा पत्थरगढी हेतु न्यायालय में 128 एल.आर.ए. का प्रार्थना पत्र पेश करें। अतः तनकी संख्या 2 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

3 आया सैटलमेण्ट कर्मचारियों द्वारा वर्तमान नक्शा पूर्व नक्शे के आधार पर सही है इसलिए वादीगण उक्त नक्शे में शुद्ध करवाने के अधिकारी है।

वादीगण

तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार वादीगण पर है। इस तनकी के तथ्यों के संबंध में पूर्व में तनकी संख्या 1 में विस्तृत विवेचना की जा चुकी है। सैटलमेण्ट पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

एवं वर्तमान नक्शा समान होने से तनकी संख्या 3 वादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन में वादीगण तनकी संख्या 1 लगायत 3 को साबित नहीं कर पाए है, यह स्पष्ट है कि दावा वादीगण स्वीकार योग्य नहीं है तथा पत्थरगढी के अनुतोष हेतु नियमानुसार आवेदन करने हेतु स्वतंत्र हैं।

अतः दावा वादीगण साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय